भारत ने संसदों के अध्यक्षों के पांचवें विश्व सम्मेलन के दौरान पाकिस्तान की टिप्पणी का उत्तर देने के अधिकार का उपयोग किया

नई दिल्ली, 20 अगस्त 2020 : लोक सभा अध्यक्ष, श्री ओम बिरला के नेतृत्व में एक भारतीय संसदीय शिष्टमंडल अंतर संसदीय संघ, जेनेवा और ऑस्ट्रिया की संसद द्वारा संयुक्त रूप से 19 और 20 अगस्त 2020 को संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से आयोजित किए जा रहे संसदों के अध्यक्षों के पांचवें विश्व सम्मेलन में भाग ले रहा है ।

आज संसदों के अध्यक्षों के पांचवें विश्व सम्मेलन में 'आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद का मुकाबला करना : पीड़ितों का दृष्टिकोण' विषय पर आयोजित विशेष कार्यक्रम के दौरान पाकिस्तान की नैशनल असेंबली के अध्यक्ष द्वारा की गयी टिप्पणी का भारत ने उत्तर दिया है। उत्तर में यह कहा गया है,

"पाकिस्तान के प्रधान मंत्री ने संसद में ओसामा बिन लादेन जैसे खतरनाक आतंकवादी को महिमामंडित करते हुए उसे शहीद की उपाधि दी थी। भारत ऐसे देश द्वारा की गयी टिप्पणी का उत्तर देने के अधिकार का उपयोग करता है।

संयुक्त राष्ट्र के एनेलिटिकल सप्पोर्ट सैंक्शन मॉनिटरिंग दल ने भी पकिस्तान का उल्लेख एक ऐसे देश के रूप में किया है जहाँ के 6000 से भी अधिक नागरिक आतंकवाद में संलिप्त हैं और आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं।

अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान को अलग-थलग कर देना चाहिए ताकि इसे आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त होने की कीमत चुकानी पड़े। पाकिस्तान के प्रधान मंत्री ने भी स्वीकार किया था कि उनके देश में लगभग 40000 आतंकवादी हैं। 1965 , 1971 में जम्मू और काश्मीर और 1999 में करगिल पर पाकिस्तान के आक्रमण, मुंबई और भारत की संसद, उरी, पुलवामा आदि स्थानों पर हमले के साथ ही हाफ़िज़ सईद, मसूद अज़हर और एहसानुल्लाह एहसान जैसे लोगों के विरुद्ध कोई कार्यवाही न किए जाने से पाकिस्तान की सरकार द्वारा समर्थित आतंकवाद की नीति का पता चलता है।

जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न भाग रहा है और हमेशा रहेगा। हम पाकिस्तान से सीमा पार आतंकवाद को समाप्त करने की अपील करते हैं। हमारी ओर से की जाने वाली पहल को हमारी कमज़ोरी नहीं समझा जाना चाहिए।"